स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु का देश का संबोधन

दुनिया में युद्ध से संकट, तेजी से बढ़ रही इकोनॉमी

● नई दिल्ली / राज न्यूज नेटवर्क

स्वतंत्रता दिवस 2026 की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया। द्रौपदी मुमु ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर, मैं सभी को बधाई देना चाहती हूं। कुछ ही घंटों में, देश की स्वतंत्रता के 80वें वर्ष की शुभ शुरुआत होगी। मैं तीनों सशस्त्र बलों, सभी सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस कर्मियों की कर्तव्य-निष्ठा की सराहना करती हूं। मैं उन भारतीयों की भी प्रशंसा करती हूं जो वैश्विक मंच पर देश का मान-सम्मान बढ़ा रहे हैं, साथ ही विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में काम करने वाले नागरिकों की भी सराहना करती हूं। मुर्मु ने कहा कि आज के भारत में हर कोई सपने देख सकता है और आगे बढ़ सकता है। दुनिया में युद्ध के कारण संकट है। इसके बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। दुनियाभर में युद्ध और अस्थिरता के बावजूद, भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर वैश्विक औसत से दोगुनी से भी ज्यादा रहने का अनुमान है। दुनिया के आधे से अधिक रियल-टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होते हैं। साथ ही, उन्होंने कहा कि न्यायिक प्रणाली से जुड़े हर व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह सुनिश्चित करे कि संसाधनों की कमी के कारण कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित न रहे।

सिंधु वॉटर ट्रीटी रद्द होना राष्ट्र हित में

ऑपरेशन सिंदूर को याद करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी नेटवर्क के खिलाफ सटीक हमले करने की भारतीय सशस्त्र बलों की क्षमता को प्रदर्शित किया। आतंकवादियों और उनका समर्थन करने वालों को, चाहे वे कहीं भी छिपे हों, अंजाम भुगतना ही होगा। वहीं, सिंधु जल समझौते पर राष्ट्रपति बोलीं आतंकवाद को पनाह देने वाले देश के साथ सिंधु जल संधि को निलंबित करना राष्ट्रीय हित में है। खासकर किसानों के लिए यह एक निर्णायक कदम

78 वीरता पुरस्कारों को दी मंजूरी

रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है, जिनमें 13 मरणोपरांत पुरस्कार शामिल हैं।

3 करोड़ लखपति दीदी की ओर बढ़ा भारत

मुफ्त राशन कार्यक्रम 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है। वहीं, 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य हासिल किया गया(देश अब 3 करोड़ और लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है।

विकसित भारत के नये संकल्प की प्रेरणा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के राष्ट्र के नाम संबोधन को विचारोत्तेजक बताते हुए कहा कि यह सभी को विकसित भारत के लिए नए संकल्प के साथ कार्य करने की प्रेरणा देता है। मुर्मु के संबोधन के बाद पीएम ने शुक्रवार देर शाम सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति जी का प्रेरणादायक और विचारोत्तेजक संबोधन। उनके विचार हमारे राष्ट्र की शक्ति और प्रत्येक भारतीय की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करते हैं।

1577 करोड़ रुपए के हथियारों को सेना खरीदेगी

नई दिल्ली, आरएनएन। रक्षा मंत्रालय ने सेना के लिए लोइटर म्यूनिशन प्रणाली, म्यूनिशन और अन्य सहायक उपकरणों की खरीद के लिए टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड और निबे प्रा. लि. के साथ लगभग 1,577 करोड़ की डील पर साइन किये हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इन अनुबंधों पर शुक्रवार को यहां रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये गये। लोइटर म्यूनिशन सिस्टम एक अहम उपकरण है, जिसे तोपखाना रेजिमेंटों की क्षमता बढ़ाने और सेना के समग्र संचालन को मजबूत करने के लिए विकसित किया।

आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड
(CIN: L65922RJ2011PLC034297) **पंजीकृत एवं निगमित कार्या.:** 201-202, द्वितीय मंजिल, साउथ एंड स्क्वायर, मानसरोवर इंडस्ट्रीयल एरिया, जयपुर-302020

AQVOS FINANCIERS LTD. SAPNE AAPKE, SAATH HAMAARA

कब्जा नोटिस

जबकि अधोहस्ताक्षरकर्ता **आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड** का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए ''वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002'' की धारा 13 (12) और सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम के नियम 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में ऋणियों को मांग सूचना पत्र जारी किया गया। नीचे तालिका में उनके सामने दर्शाए अनुसार राशि का मांग पत्र प्राप्ति के 60 दिन के अंदर भुगतान करने की मांग की गयी। यह है कि ऋणी सम्बंधित राशियों का भुगतान करने में विफल रहे अतः ऋणीयों तथा आम जनता को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त एक्ट की धारा 13(4) सहपठित नियम 9 के नियमों के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में नीचे वर्णित सम्पत्तियों का अधिपत्य तालिका में उनके सामने दर्शाई गई दिनांक को ग्रहण कर लिया है। ऋणियों व जमानतियों को विशिष्टया तथा सर्वसाधारण को सामान्यतया एतद् द्वारा सम्पत्तियों के साथ व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है। इन सम्पत्तियों के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार निम्न खातों के सामने दर्शाई गई बकाया राशि तथा उन पर ब्याज व खर्चों के लिए आवास फाइनेंस **आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड** के प्रभार के अध्यधीन होगा।

ऋणी का नाम	धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस की दिनांक व राशि	बंधक संपत्ति का विवरण	कब्जे की तारीख एवं प्रकार
अमित शैव, पूनम शैव खाता सं. LNSEH03721-220209691	5 अक्टूबर 2024 ₹ 623242/- 4 अक्टूबर 2024	मकान नं. 267, प्लॉट नं. 18/5, वार्ड नं. 34, गहलोतपुरा नगर पालिका परिषद कसबा सिहोर पुरानी कोतवाली के पास, तहसील व जिला-सिहोर (म.प्र.) मध्य प्रदेश (भारत)-466001 **क्षेत्रफल 519.75 वर्ग फीट**	भौतिक कब्जा दिनांक 12 अगस्त 2026
पवन गोस्वामी, प्रवीणा सूर्यवंशी जमानतदार : राज हर्ष चौहान खाता सं. LNBOP02222-230274283	11 मई 2025 ₹ 2055486/- 8 मई 2025	फ्लेट नं. एस-202, दूसरी मंजिल, ज्योति हाईट्स, गांव गेहूंखेड़ा, कोलार रोड़, वार्ड नं. 84, केएच नं. 186, तहसील-हुजुर, जिला भोपाल, म.प्र. 462001 **क्षेत्रफल 83.64 वर्ग मीटर**	भौतिक कब्जा दिनांक 11 अगस्त 2026

दिनांक : 15-08-2026 प्राधिकृत अधिकारी आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड

9 माह बाद धरती पर लौटा रॉकेट

● नई दिल्ली / राज न्यूज नेटवर्क

इसरो के एलवीएम3-एम5 रॉकेट का सी25 अपर स्टेज करीब 9 महीने अंतरिक्ष में रहने के बाद 30 जुलाई 2026 को धरती के वायुमंडल में वापस आ गया। यह रॉकेट 2 नवंबर 2025 को श्रीहरिकोटा से सीएमएस-03 कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए भेजा गया था। सैटेलाइट को उसकी तय जियोस्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट यानी जीटीओ में पहुंचाने के बाद सी25 स्टेज का काम खत्म हो गया था। इसके बाद इसरो ने इसे ऐसी ऑर्बिट में रखा, जिससे यह लंबे समय तक अंतरिक्ष में न रहे और तय समय के अंदर धरती के वायुमंडल में वापस आ जाए। इसरो के मुताबिक, सी25 स्टेज की री-एंट्री 30 जुलाई को शाम करीब 5:38 बजे आईएसटी पर हुई।

लड़ते-लड़ते थक गए होंगे, शांति बहाली के बारे में सोचें : सीजेआई

● नई दिल्ली / राज न्यूज नेटवर्क

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को मणिपुर में तीन साल से ज़्यादा समय से जारी जातीय हिंसा में शामिल कुकी और मेइती समुदायों से कहा कि आप लड़ते-लड़ते थक गए होंगे। शांति बहाल करने और सड़कों व राजमार्गों को चालू करने के बारे में सोचें। मई 2023 में इंफाल घाटी में रहने वाले मेइती और आस-पास की पहाड़ियों पर रहने वाले कुकी समुदायों के बीच जातीय हिंसा शुरू होने के बाद से 260 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और हज़ारों लोग विस्थापित हुए हैं।

सीजेआई सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने दोनों जातीय समूहों से कहा कि राजमार्गों और सड़कों को अवरुद्ध करने से किसी का भला नहीं होगा तथा वे इन्हें फिर से खोलने की कोशिश करें। पीठ ने कहा, आप लड़ते-लड़ते थक गए होंगे। दोनों ही गुटों ने बहुत मुश्किलें झेली हैं। शांति बहाल करने और सड़कों व राजमार्गों को चालू करने के बारे में सोचिए। राजमार्ग किसी भी इलाके की जीवनरेखा होते हैं क्योंकि ज़रूरी सामान इन्हीं से होकर गुज़रता है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता कुकी वीमेन ऑर्गनाइज़ेशन फ़ॉर ह्यूमन राइट्स और हस्तक्षेपकर्ता इंटरनेशनल मेइती ऑर्गनाइज़ेशन से यह बात कही।

E-mail: mobhopal@gmail.com

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल (म०प्र०)

क्रमांक/744/खनिज/2026 दिनांक 23/07/2026

म.प्र. गौण खनिज निमय 1996 के नियम, 18 (1-क) के अंतर्गत उत्खनिपट्टा/पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति (जो भी लागू हो) प्राप्त करने के लिए।

प्रथम सूचना

यह सूचित किया जाता है कि सपना पता-म.नं. 09, परवलिया सडक, जिला भोपाल म.प्र. द्वारा उत्खनिपट्टा प्राप्त करने हेतु निम्न क्षेत्र पर ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 25.06.2026 को प्रस्तुत किया गया है। प्रकाशन दिनांक से 30 दिवस तक इस क्षेत्र पर यथास्थिति उत्खनिपट्टा / पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति आवेदन ऑनलाइन आमंत्रित किये जाने हेतु आवेदन ई-खनिज 2.0 पोर्टल https://mines.mp.gov.in पर प्रस्तुत किये जायेंगे हैं।

आवेदन का संक्षिप्त विवरण

जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नं	रकबा	भूमि का प्रकार शासकीय/निजी	खनिज का नाम	रिमार्क
भोपाल	हुजूर	रातीबड	725	4.9380 हेक्ट	शासकीय	मुरूम	–

1. उपरोक्त प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदित क्षेत्र के संबंध में अन्य इच्छुक आवेदकों से विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तारीख से आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक (कार्यालयीन समय सायं 05. 30 बजे तक) ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।
2. यदि प्रकाशित विज्ञप्ति के उपरांत आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक 03 अथवा उससे अधिक अन्य आवेदकों के आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं, तो प्रथम आवेदन पत्र एवं प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को म. प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम 21 के तहत् अधिमान्यता तय करने के आशय से उसी दिन प्राप्त किया गया समझा जाएगा।
3. यदि प्रकाशित विज्ञप्ति में उल्लेखित आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक 03 से कम आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो पुनः 15 दिवस की अवधि आवेदन प्राप्त करने हेतु निर्धारित कर विज्ञप्ति प्रकाशित की जाएगी। विज्ञप्ति प्रकाशन के दिनांक से 15 दिवस के भीतर अन्य आवेदक भी उपरोक्त आवेदित क्षेत्र पर आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेंगें। उपरोक्त अवधि में प्राप्त आवेदन पत्र तथा पूर्व प्रकाशित विज्ञप्ति की अवधि के दौरान प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 21 के तहत् अधिमान्यता तय करने के आशय से उसी दिन प्राप्त किया गया समझा जाएगा।
4. यदि प्रथम एवं द्वितीय विज्ञप्ति के उपरांत भी निर्धारित समयावधि में अन्य कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होता है तो प्रथम आवेदक के पक्ष में नियमानुसार खनि रियायत स्वीकृति पर विचार किया जा सकेगा।
5. निर्धारित समयावधि के उपरांत प्राप्त आवेदन पत्रों को विचार में नहीं लिया जाएगा।

G-17100/26 खनि अधिकारी (खनिज) जिला-भोपाल, म.प्र.

"स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता"

भारतीय स्टेट बैंक
तनावग्रस्त आस्तियाँ वसूली शाखा, भोपाल (04293)
प्रथम मंजिल, एसबीआई बिल्डिंग, प्लॉट नं. 1, अरेरा हिल्स, ओल्ड जेल रोड़, भोपाल (म.प्र.)-462011, फोन: 0755-4050738, मो. : 9816638865, ई-मेल : sbi.04293@sbi.co.in

कब्जा सूचना - अचल संपत्ति के लिए (नियम-8(1))

जबकि, **भारतीय स्टेट बैंक** के प्राधिकृत अधिकारी के रुप में अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (12) सह पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नीचे दर्शाये गए मृतक उधारकर्ता (स्व. श्री कल्याण सिंह राजपूत पिता श्री विजय सिंह)के कानूनी उत्तराधिकारीयों को डिमांड नोटिस दिनांक 14.08.2023 को जारी कर मांग की गई थी कि वे उक्त नोटिस की प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर नीचे उल्लेखित राशि चुकता कर दें। मृतक उधारकर्ता के कानूनी उत्तराधिकारीयों द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने के कारण, कानुनी उत्तराधिकारीयों और आम जनता को सूचित किया जाता है कि **भारतीय स्टेट बैंक** के प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित, कानूनी उत्तराधिकारीयों के नाम के सामने उल्लिखित तिथि को नीचे वर्णित संपत्ति/संपत्तियों का प्रतीकात्मक कब्जा ले लिया है। सभी कानुनी उत्तराधिकारीयों को विशेष रूप से और आम जनता को एतद्द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे नीचे उल्लिखित संपत्ति/संपत्तियों के साथ लेन-देन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन सभी कानुनी उत्तराधिकारीयों के नाम के सामने उल्लिखित राशि के लिए **भारतीय स्टेट बैंक** के प्रभार के अधीन होगा। सभी कानुनी उत्तराधिकारीयों का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो सुरक्षित संपत्ति/संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में है।

क्रं.	कानुनी उत्तराधिकारीयों के नाम और पते	अंचल संपत्ति का विवरण	मांग सूचना दिनांक कब्जा दिनांक	बकाया राशि (जैसा कि डिमांड नोटिस दिनांक 14.08.2023 में उल्लेखित है)
1.	**उधारकर्ता (स्व. श्री कल्याण सिंह राजपूत पिता श्री विजय सिंह) के कानूनी उत्तराधिकारी , 1. श्रीमती केसर बाई पति स्व. श्री कल्याण सिंह राजपूत, 2. श्री राजेंद्र सिंह राजपूत पिता स्व. श्री कल्याण सिंह राजपूत, 3. श्रीमती संगीता बाई पिता स्व. श्री कल्याण सिंह राजपूत, 4. श्रीमती ज्योति राजपूत पिता स्व. श्री कल्याण सिंह राजपूत, 5. श्रीमती अलका राजपूत पति स्व. श्री चंद्र शेखर राजपूत, 6. मास्टर परम राजपूत पिता स्व. श्री चंद्र शेखर राजपूत अपनी माँ और प्राकृतिक अभिभावक श्रीमती अलका राजपूत (स्व. श्री चंद्र शेखर राजपूत की पत्नी) के माध्यम से, सभी कानूनी उत्तराधिकारीयों का आवासीय पता** : 80, समरधा कलियासोत, तहसील- हुजूर, जिला- भोपाल (म.प्र.) - 462046	परिवर्तित प्लॉट सर्वे नंबर 416/2/1 का भाग , गांव- समरधा, कलियासोत, पी.सी. नंबर 44, तहसील हुज़ूर, जिला भोपाल (म.प्र.) में स्थित, प्लॉट का एरिया 1500 वर्ग फीट (30x50), यानी 139.40 वर्ग मीटर है, जिस पर बना हुआ मकान भी, मालिक एवं बंधककर्ता श्री कल्याण सिंह राजपूत पिता श्री विजय सिंह राजपूत, (अब मृतक) अब उनके कानूनी उत्तराधिकारीयों के द्वारा उनका प्रतिनिधित्व किया जा रहा , सेल डीड के अनुसार **चतुर्सीमा : पूर्व :** विक्रेता की बची हुई भूमि, **पश्चिम:** रोड़, **उत्तर :** विक्रेता की बची हुई भूमि, **दक्षिण:** विक्रेता की बची हुई भूमि	14.08.2023 11.08.2026	₹ 39,36,746.68 (रुपये उनचालीस लाख छत्तीस हज़ार सात सौ छियालीस और अड़सठ पैसे मात्र) 14.08.2026 तक एवं 15.08.2026 से ब्याज और अन्य शुल्क (यदि कोई बाद का क्रेडिट हो तो उसे घटाकर)

स्थान - भोपाल, दिनांक 12.08.2026 प्राधिकृत अधिकारी, **भारतीय स्टेट बैंक**

देश के विधायी मामले आंतरिक

नई दिल्ली। विदेशी अंशदान विनियमन बिल, एफसीआरए पर यूएस की नाराजगी की रिपोर्ट के बीच भारत ने एक बार फिर दोहराया है कि देश से संबंधित विधायी मामले आंतरिक हैं और उन पर भारत की संसद ही निर्णय लेती है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया ब्रीफिंग में इससे संबंधित सवाल के जवाब में यह बात कही।

प्रवक्ता ने कहा कि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है और मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूं कि भारत से संबंधित विधायी मामले हमारे अपने आंतरिक मामले हैं, जिन पर निर्णय लेने के लिए भारत की संसद है।

INVITING REQUEST FOR PROPOSAL(R.F.P.) WATER RESOURCES DEPARTMENT GOVERNMENT OFJHARKHAND

NIT NO. : WRD/JH/CE/DMPH/RFP/05/2026

National Competitive Bidding

1.	Name of the Work	Request for Proposal for Conducting Studies and Preparation of Detailed Investigation Reports on Comprehensive Dam Safety Evaluation/ Structural Health Assessment for Dam Rehabilitation/ Preparation of Emergency Action Plan, Operation and Maintenance Manual etc. of Paras Dam under Chief Engineer, WRD, Ranchi, Water Resources Department, Govt. of Jharkhand
2.	Mode of Submission of Bids	Online through www.jharkhandtenders.gov.in
3.	Tender fee (In INR)	Rs.10,000.00 (Ten thousand only)- ----(Non-refundable)
4.	Bid Security (In INR)	Rs.1,00,000/-(One Lakh only)
5.	Time of completion	150 days from the date of LOA
6.	Date of availability of Bidding Document on Website	17/08/2026;16:00 HRS
7.	Last Date and time of submission of pre- bid queries	24/08/2026;11:00 HRS
8.	Date of Pre Bid Meeting	25/08/2026; 11:30HRS Chief Engineer, Design Master Planning And Hydrology, Room No. 203, Second Floor, Jal Bhawan, Doranda, Ranchi, Jharkhand-834002
9.	Last Date of Submission of online Bids	07/09/2026;15:30HRS
10.	Date & time of opening of Technical Bid	08/09/2026;16:30HRS Chief Engineer, Design Master Planning And Hydrology, Room No. 203, Second Floor, Jal Bhawan, Doranda, Ranchi, Jharkhand-834002
11.	Name of address of E-procurement officer	Chief Engineer, Design Master Planning And Hydrology, Room No. 203, Second Floor, Jal Bhawan, Doranda, Ranchi, Jharkhand-834002 *Email:cedesign-wrd-jhr@nic.in*
12.	Helpline no.	9162471847, 09787107524, 09599321224, 09304037930, 09110975717

Note:-Please see details on www.jharkhandtenders.gov.in

Chief Engineer
Design, Master Planning &Hydrology, Water Resources Department, Government of Jharkhand

PR 387575 Water Resource(26-27)#D

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
UJJAIN SAHAKARI DUGDH SANGH MARYADIT
(आई.एस.ओ.9001:2015,14001:2015 एवं 22000:2018 प्रमाणित संस्था)
म.प्र.सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत संस्था
पंजीयन क्रमांक बी.पी.एल./एच.ओ/158 दिनांक 9/12/1977
GSTIN-23AAAAU0051C1ZB PAN No. AAAAU0051C

साँची दूध/दुग्ध उत्पाद/घी परिवहनकर्ता कार्य हेतु ई-निविदा

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत निम्नानुसार मार्गो पर साँची दूध/दुग्ध उत्पाद/घी के परिवहनकर्ता कार्य हेतु ई-निविदा आमंत्रित की जाती है :-

क्र.	मार्ग का नाम	अनुमानित दूरी (आना-जाना)	आवश्यक क्रेट क्षमता का वाहन
1	डेयरी संयंत्र उज्जैन से कायथा, तराना, रूपाखेड़ी, माकड़ौन, चौमा, मो.बड़ोदिया मार्ग	234	200
2	डेयरी संयंत्र उज्जैन से चिकली, इंगोरिया, बड़नगर, बदनावर, रूनिजा, खाचरौद मार्ग	224	200
3	डेयरी संयंत्र उज्जैन से घट्टिया, घोंसला, तनोड़िया, बड़ोद, डग, चौमेला, सुवासरा, शामगढ़, गरोठ मार्ग	375	200
4	डेयरी संयंत्र उज्जैन से शाजापुर मार्ग	118	300
5	डेयरी संयंत्र रतलाम से जावरा, कालुखेड़ा, ताल, आलोट मार्ग	250	200

प्रतिभागी (इच्छुक एवं सक्षम) निविदाकार इस कार्य के नियम एवं शर्तो की विस्तृत जानकारी एमपीसीडीएफ भोपाल की वेबसाइट www.sanchidairy.com या www.mptenders.gov.in से प्राप्त कर सकते है। ई-निविदा शैडयूल इस प्रकार है :-

स.क्र.	विवरण	कार्यवाही विवरण
1.	ई-निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की तिथि एवं समय	दिनांक 17.08.2026 समय दोपहर 01:00 बजे www.mptenders.gov.in से रू. 500/- के मूल्य पर क्रय कर सकते हैं।
2.	ई-निविदा ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 07.09.2026 समय दोपहर 02:00 बजे तक www.mptenders.gov.in पर
3.	ई-निविदा (ऑनलाइन) की तकनीकी अर्हता खोलने की तिथि, समय एवं स्थान	दिनांक 08.09.2026 एवं समय दोपहर 02:00 बजे से, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ कार्यालय
4.	तकनीकी रूप से सफल निविदाकारों की वित्तीय बिड खोलने की दिनांक, समय एवं स्थान	दिनांक 09.09.2026 एवं समय दोपहर 02:00 बजे से, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ कार्यालय
5.	निविदा के साथ जमा की जाने वाली अमानत (ई.एम.डी.) राशि	ईएमडी राशि 25,000/- ऑनलाइन जमा करें एवं रसीद संलग्न करें।

प्रत्येक ई-निविदा के साथ राशि रू 25,000/- की ऑनलाईन ई.एम.डी. जमा कर रसीद संलग्न करना अनिवार्य है जिसके बिना निविदा स्वतः अमान्य होगी। अधिक जानकारी दुग्ध संघ के विपणन कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। यदि आवेदन प्रपत्र/प्रक्रिया में कोई सुधार/संशोधन किया जाता है तो यह केवल ऊपर दी गई वेबसाइट www.sanchidairy.com या www.mptenders.gov.in पर ही प्रकाशित होगा। किसी अन्य माध्यम से प्रकाशित नही किया जाएगा।

किसी भी अथवा समस्त निविदा को सकारण स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन के पास निहित होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/99 REGD. No. D. L. -33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.- 07082026-275264
CG-DL-E-07082026-275264
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (ii)
PART II-Section 3-Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4186] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 7, 2026/ श्रावण 16, 1948
No. 4186] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 7, 2026/SHRAVAN 16, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 29 जुलाई 2026

का.आ. 4362(अ) –केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.2477(अ) **तारीख 13/05/2026,** जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल जिले तहसील हुजूर के गाँव– सागोनी कलां, छावनी पठार, बिलखिरिया, कोलुआ खुर्द, पडरिया सांकल मे राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 146 [भोपाल (रत्नागिरी तिराहा) – विदिशा (मोरीकोड़ी) खण्ड] के कि.मी. 3.900 से कि. मी. 11.850 तक के भूखण्ड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 27.05.2026 '' फ्री प्रेस '' और राज एक्सप्रेस'' दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3–ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपार्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल जिले की तहसील हुजूर के गाँव- सागोनी कलां, छावनी पठार, बिलखिरिया, कोलुआ खुर्द, पडरिया सांकल मे राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 146 [भोपाल (रत्नागिरी तिराहा) - विदिशा (मोरीकोड़ी) खण्ड] के कि.मी. 3.900 से कि.मी. 11.850 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का विवरण।

6079 GI/2026

जिला - भोपाल
https://egazette.gov.in
प्रकाशन दिनांक -29.07.2026
https://egazette.gov.in
https://bhoomirashi.gov.in

फा. से.: NHAI/BPL;SaG/LA/41010/2020/3a/3D
शेख अमीन खान, निदेशक

नोट : इस अधिसूचना की वास्तविक प्रति सीएएलए/पीआईयू/पीएमयू/आरओ/ईडी के कार्यालय में भी उपलब्ध है और भूमि मालिक वहां भी अधिसूचना देख सकते हैं।

कार्यालय सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील हुजूर, जिला – भोपाल (म0 प्र0)

क्रमांक/466/ R-II/ भू-अर्जन शाखा/26 प्रकाशन क्रमांक 0006/A-82/N.H./2026-27 दिनांक: 14/08/2026

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–146 (भोपाल (रत्नागिरी तिराहा) – विदिशा (मोरीकोड़ी) खण्ड) के कि.मी. 3.900 से कि.मी. 11.850 तक 4–लेन निर्माण/ चौड़ीकरण कार्य हेतु तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.) के ग्रामों में अर्जित भूमि के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3D के तहत अधिसूचना संख्या का.आ. 4362 (अ) दिनांक 29/07/2026 का भारत के राजपत्र असाधारण भाग II–खण्ड 3–उपखण्ड (ii) में दिनाँक 07/08/2026 को उक्त घोषणा का प्रकाशन किया गया हैं। इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कियान्वयन इकाई, कार्यालय–एच.आई.जी. –5 / ई–3, अरेरा कॉलोनी, गणेश मंदिर के पास, पुराना हबीबगंज नाका, भोपाल (म०प्र०) एवं मेरे कार्यालय में उपलब्ध है और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) की धारा 3जी की उप–धारा (3) के तहत अर्जित की जाने वाली भूमि में हित रखने वाले व्यक्ति समाचार पत्र में प्रकाशन दिनांक से 21 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रतिकर के संबंध में दावे प्रस्तुत कर सकेंगे और जिस पर दिनांक 07/09/2026 को प्रातः 11:00 बजे मेरे द्वारा सुनवाई की जाएगी। जिसमें अक्षेपकर्ता / उनके प्रतिनिधि / उनके अधिवक्ता उपस्थित रहकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

सक्षम प्राधिकारी भू–अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील हुजूर जिला भोपाल (म0प्र0)

GRIHUM HOUSING FINANCE

गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः छठा तल, बी बिल्डिंग, गंगा टूनो, लोहेगांव, पुणे, महाराष्